



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 150]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 1, 2019/ फाल्गुन 10, 1940

lo. 150]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 1, 2019/ PHALGUNA 10, 1940

कॉरपोरेट मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2019

सा.का.नि. 170(अ)—केन्द्रीय सरकार, कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) की धारा 10ख की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कंपनी सचिव (निर्वाचन अधिकरण) नियम, 2006 के नियम 3 के अन्वये, जनवरी, 2019 में हुए भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की परिषद् के निर्वाचन के मामले में उक्त अधिनियम की धारा 10क से उद्भूत किसी विवाद का विनिश्चय करने हेतु निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बने एक अधिकरण की स्थापना करती है, अर्थात् :--

i) सुश्री ज़ोया हड़के,
अपर सचिव,
विधि कार्य विभाग,
विधि और न्याय मंत्रालय,
नई दिल्ली-110001

पीठासीन अधिकारी

ii) श्री देवेन्द्र कुमार,
सलाहकार (लागत)
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय,
पर्यावरण भवन,
सीजीओ काम्पलैक्स,
लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003

सदस्य

- (iii) श्रीमती गीता सिंह राठौर,
उप महानिदेशक,
कारपोरेट कार्य मंत्रालय,
शास्त्री भवन
नई दिल्ली-110001

सदस्य

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 3/2/2019/पीआई]
अनुराग अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2019

G.S.R. 170(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10B of the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980) and in pursuance of rule 3 of the Company Secretaries (Election Tribunal) Rules, 2006, the Central Government hereby establishes a Tribunal consisting of the following persons to decide any dispute arising under section 10A of the said Act in the matter of election to the Council of the Institute of Company Secretaries of India held in January, 2019, namely:—

- | | | |
|-------|---|--------------------|
| (i) | Ms. Zoya Hadke,
Additional Secretary,
Department of Legal Affairs,
Ministry of Law and Justice,
Shastri Bhawan, New Delhi-110001 | Presiding Officer; |
| (ii) | Shri Devender Kumar,
Advisor (Cost),
Ministry of Corporate Affairs,
Paryavaran Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi-110003 | Member; |
| (iii) | Smt. Geeta Singh Rathore,
Deputy Director General,
Ministry of Corporate Affairs,
Shastri Bhawan,
New Delhi-110001 | Member. |

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. . 3/2/2019-PI]
ANURAG AGARWAL, Jt. Secy.